<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता ,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध (उत्तराधिकार अधि.) संख्या 118/2025

चन्द्रप्रकाश वेदवाल पुत्र स्वर्गीय श्री जगन्नाथ वेदवाल, निवासी–252/35, गली नम्बर– 18, तानाजी नगर, धाननाड़ी, भजनगंज, अजमेर।

–– प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती रामाबाई पत्नी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ वेदवाल, निवासी–252/35, गली नम्बर– 18, तानाजी नगर, धाननाड़ी, भजनगंज, अजमेर।
2. श्रीमती शीला धर्म पत्नी श्री रमेश चंद पुत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ वेदवाल, निवासी– महेश नगर, जयपुर हाल निवासी– 252/35, गली नम्बर– 18, तानाजी नगर, धाननाड़ी, भजनगंज, अजमेर।
3. श्रीमती गीतांजली धर्मपत्नी गजेन्द्र पुत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ वेदवाल,निवासी– आगरा रोड़, बावड़ी जयपुर हाल निवासी– 252/35, गली नम्बर– 18, तानाजी नगर, धाननाड़ी, भजनगंज, अजमेर।
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– स्टेशन रोड़, अजमेर हाल–केसरगंज, अजमेर।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थित:

1. श्री अशोक कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अभिषेक माथुर, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री एस.के.सेठी, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक: 18.03.2026</u>**

1. प्रार्थी चन्द्रप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री जगन्नाथ वेदवाल द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के पिता व अप्रार्थिया संख्या–1 के पति जगन्नाथ बैरवा का देहान्त दिनांक 17.06.2022 को हो गया, जिनके प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मृतक जगन्नाथ बैरवा की अप्रार्थी संख्या–4 के यहां दो एफ.डी.आर.संख्या 61085766006 दिनांकित राशि 53,174/–परिपक्व दिनांक 28.06.2022 व एफ.डी.आर.संख्या 61085765864 दिनांक 28.05.2021 राशि 1,23,521/– परिपक्व दिनांक 28.06.2022 है, जिनका पूर्ण विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में दिया गया है। उक्त एफ.डी.आर. में मृतक ने किसी

को नॉमिनी नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या–4 से अपने पिता द्वारा छोड़ी गई उक्त एफ.डी.आर. की राशि की मांग करने पर, अप्रार्थी संख्या–4 ने न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग की है। प्रार्थी उसके पिता मृतक जगन्नाथ बैरवा द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित राशियां प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र भी पेश किया। अनुसूची 'अ' का विवरण निम्न प्रकार है।

अनुसूची 'अ'

क्र.सं.	बैंक का नाम व मृतक का नाम	जमा दिनांक	एफ.डी.आर.	जमा राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा केसरगंज, अजमेर मृतक स्व. श्री जगन्नाथ वेदवाल एफ.डी.आर नं. 61085766006	28.05.2021	एफ.डी.आर नं. 61085766006	53,176.00 रूपये एवं मय ब्याज 5.5 प्रतिशत से आज दिनांक तक
2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा केसरगंज, अजमेर मृतक स्व. श्री जगन्नाथ वेदवाल एफ.डी.आर नं. 61085765864	28.05.2021	एफ.डी.आर नं. 61085765864	1,23,521.00 रूपये एवं मय ब्याज 5.5 प्रतिशत से आज दिनांक तक

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए सम्मन जारी किये गये, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के दिनांक 16.09.2025 के अंक में करवाया गया तथा सम्मन सार्वजनिक स्थल पर भी चस्पा किये गये, किन्तु कोई आपत्तिकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत हुई। अप्रार्थीगण को भी सम्मन प्रेषित किये गये।

3. अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 की ओर से पृथक–पृथक अनापत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के पक्ष में उनके पति/पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या–4 के यहां जमा राशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने में अनापत्ति प्रकट की गई।

4. अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अभिकथित किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित मृतक की एफ.डी.आर. के खाते में राशि जमा है, जिनका विवरण भी पृथक से पेश किया गया है। अंत में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने को तैयार व तत्पर होना बताया।

5. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न बिन्दु विरचित किये गये–

1. आया प्रार्थी, प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वर्गीय जगन्नाथ बैरवा का पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है? — प्रार्थी
2. अनुतोष ?

Authenticated Document

6. प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य में ए.डब्ल्यू.1 ने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें उसने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की अक्षरशः पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 उसकी माता तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उसकी बहनें हैं। उसके पिता जगन्नाथ वेदवाल का निधन दिनांक 17.06.2022 को हो गया। उसके पिता मृतक जगन्नाथ ने अपने जीवनकाल में भारतीय स्टेट बैंक, शाखा केसरगंज, अजमेर के यहां दो एफ.डी.आर.संख्या 61085766006 दिनांकित राशि 53,174/– परिपक्व दिनांक 28.06.2022 व एफ.डी.आर.संख्या 61085765864 दिनांक 28.05.2021 राशि 1,23,521/– परिपक्व दिनांक 28.06.2022 है,करायी थी। उक्त एफ.डी.आर. में उसके पिता मृतक जगन्नाथ ने किसी को नॉमिनी नहीं किया है। उसके पिता द्वारा अप्रार्थी बैंक के यहां करायी गयी दोनों एफ.डी.आर. की राशि मय ब्याज प्रार्थी को प्राप्त करने में अन्य वारिसान को किसी प्रकार का ऐतराज व आपत्ति नहीं है। अतः उसे उक्त दोनों एफ.डी.आर. की राशि मय ब्याज दिलायी जावे। न्यायालय के बयान में प्रार्थी ने प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 जगन्नाथ का मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 एफ.डी.आर.को प्रदर्शित कराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से साक्षी से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया, ना ही साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7. प्रार्थी की ओर से उसके पिता द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति/राशियों के विवरण के सम्बन्ध में संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 13.03.2026 पेश की गई, जो निम्न प्रकार है–

<u>संशोधित अनुसूची 'अ'</u>

क्र.सं.	बैंक का नाम व मृतक का नाम	जमा दिनांक	एफ.डी.आर.	जमा राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा केसरगंज, अजमेर मृतक स्व. श्री जगन्नाथ वेदवाल एफ.डी.आर नं. 61085766006	28.05.2021	एफ.डी.आर नं. 61085766006	दिनांक 10.09.2025 तक जमा राशि 69,655– 356 पैनल्टी काटकर कुल राशि 69,299/–रूपये मय ब्याज 5.5 प्रतिशत से आज दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है।
2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा केसरगंज, अजमेर मृतक स्व. श्री जगन्नाथ वेदवाल एफ.डी.आर नं. 61085765864	28.05.2021	एफ.डी.आर नं. 61085765864	दिनांक 10.09.2025 तक जमा राशि 1,61,807–826 पैनल्टी काटकर कुल राशि 1,60,981/–रूपये मय ब्याज 5.5 प्रतिशत से आज दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

<u>विवाद्यक संख्या–1–</u>

9. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय जगन्नाथ बैरवा द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ

संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 13.03.2026 में वर्णित राशियां प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी स्वयं ने साक्ष्य में परीक्षित होकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जगन्नाथ बैरवा का मृत्यु प्रमाण–पत्र है, जिससे उसकी मृत्यु दिनांक 17.06.2022 को होना प्रकट होता है, जिसमें उसकी पत्नी का नाम रामा बाई अंकित है। प्रदर्श–2 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जगन्नाथ बैरवा के नाम जारी सावधि जमा (एफ.डी.आर.) की रसीद है, जो खाता संख्या 61085766006 राशि 53,174/–रूपये की दिनांक 09.06.2021 को एक साल एक माह के लिए 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर बनायी गयी थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 28.06.2022 होना प्रकट होता है। प्रदर्श–3 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जगन्नाथ बैरवा के नाम जारी सावधि जमा (एफ.डी.आर.) की रसीद है, जो खाता संख्या 61085765864 राशि 1,23,521/–रूपये की दिनांक 09.06.2021 को एक साल एक माह के लिए 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर बनायी गयी थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 28.06.2022 होना प्रकट होता है।

10. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के पिता व अप्रार्थिया संख्या–1 के पति जगन्नाथ बैरवा थे, जिनका देहान्त दिनांक 17.06.2022 को हो गया। मृतक के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। मृतक जगन्नाथ बैरवा की अप्रार्थी संख्या–4 भारतीय स्टेट बैंक के यहां दो एफ.डी.आर. क्रमशः संख्या 61085766006 दिनांकित राशि 53,174/–परिपक्व दिनांक 28.06.2022 व एफ.डी.आर.संख्या 61085765864 दिनांक 28.05.2021 राशि 1,23,521/– परिपक्व दिनांक 28.06.2022 है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 एफ.डी.आर. से भी होती है। उक्त दोनों एफ.डी.आर. में नॉमिनी नहीं होना अप्रार्थी बैंक की ओर से बताया गया है। अप्रार्थी बैंक की ओर से मृतक जगन्नाथ बैरवा की एफ.डी.आर. खाता संख्या 61085766006 में दिनांक 10.09.2025 तक राशि 69,655/–रूपये व एफ.आर.आर.खाता संख्या 61085765864 में दिनांक 10.09.2025 तक राशि 1,61,807/–रूपये जमा होना बताया गया है।

11. अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतक जगन्नाथ बैरवा के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 क्रमशः पुत्र, पत्नी व पुत्रियां होकर विविध वारिसान हैं। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व दौराने बहस अनापत्ति प्रकट की गई है। दोनों पक्षों की और से यह भी स्वीकृत तथ्य है कि

प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के पिता व अप्रार्थिया संख्या–1 के पति जगन्नाथ बैरवा की अप्रार्थी संख्या–4 भारतीय स्टेट बैंक के यहां प्रार्थना–पत्र में साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 13.03.2026 में वर्णित दो एफ.डी.आर. है। अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से प्रार्थी की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है, बल्कि मृतक जगन्नाथ बैरवा की उनके यहां दो एफ.डी.आर. होना स्वीकार किया है। अतः तथ्यों व विधि का विवाद नहीं होने से मृतक जगनन्नाथ बैरवा के द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 13.03.2026 में वर्णित राशियों के बाबत प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विवाद्यक संख्या–1 का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02: अनुतोष:–

12. विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय एवं किये गये विवेचन के आधार पर प्रार्थी चन्द्रप्रकाश वेदवाल के पक्ष में मृतक जगन्नाथ द्वारा छोड़ी गई प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 13.03.2026 में वर्णित राशियों बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करना उचित प्रतीत होता है।

13. परिणामतः प्रार्थी चन्द्रप्रकाश वेदवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी चन्द्रप्रकाश वेदवाल को मृतक जगन्नाथ बैरवा का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। प्रार्थी चन्द्रप्रकाश वेदवाल के पक्ष में मृतक जगन्नाथ बैरवा की प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 13.03.2026 में वर्णित राशियों, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

संशोधित अनुसूची 'अ'

क्र.सं.	बैंक का नाम व मृतक का नाम	जमा दिनांक	एफ.डी.आर.	जमा राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा केसरगंज, अजमेर मृतक स्व. श्री जगन्नाथ वेदवाल एफ.डी.आर नं. 61085766006	28.05.2021	एफ.डी.आर नं. 61085766006	दिनांक 10.09.2025 तक जमा राशि 69,655– 356 पैनल्टी काटकर कुल राशि 69,299/–रूपये मय ब्याज 5.5 प्रतिशत से आज दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है।
2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा केसरगंज, अजमेर मृतक स्व. श्री जगन्नाथ वेदवाल एफ.डी.आर नं. 61085765864	28.05.2021	एफ.डी.आर नं. 61085765864	दिनांक 10.09.2025 तक जमा राशि 1,61,807–826 पैनल्टी काटकर कुल राशि 1,60,981/–रूपये मय ब्याज 5.5 प्रतिशत से आज दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है।

व अन्य देय परिलाभ यदि कोई हो, के बाबत नियमानुसार न्यायालय शुल्क (Court Fee) प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

Authenticated Document

प्रार्थी चन्द्रप्रकाश वेदवाल द्वारा उक्त राशि पर विधिवत न्याय शुल्क (Court Fee) पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

14. आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.18 17:04:13 +0530

Authenticated Document